प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 6119/2021

(एसएलपी (क्रि.) संख्या 36767/2016 से उत्पन्न)

अन्नपूर्णा जायसवाल ... .अपीलार्थी(गण)

बनाम

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य ... .प्रत्यर्थी (गण)

नि र्ण य

न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. पेट्रोल पंपों की डीलरशिप देने के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 12.10.2011 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।अपीलकर्ता ने दिनांक 11.11.2011 को आवेदन किया।किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपीलकर्ता को प्रथम स्थान में रखा गया था।हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत के आधार पर, इस मामले पर गौर किया गया और दिनांक 12.11.2014 को आदेश जारी किया गया, जिसके द्वारा प्रतिवादी ने यह विचार किया कि पट्टा 08.11.2011 दिनांकित जो अपीलकर्ता द्वारा किए गए प्रस्ताव की नींव थी पेट्रोल आउटलेट के प्रारम्भ की तिथि से शुरू होगा।इसका अर्थ यह था

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कि परिसर पर कब्जा पट्टे की राशि नहीं था और पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि पर पट्टा लागू नहीं हुआ था।पट्टा विलेख स्वामित्व वाले प्रस्ताव की तुलना में एक फर्म प्रस्ताव की तरह अधिक था। इसके बाद दिनांक 12.12.2014 को अपीलकर्ता को संशोधन/स्पष्ट विलेख पंजीकृत किया गया।अपीलकर्ता द्वारा चार अभ्यावेदन किए गए थे।निगम ने आदेश 25.02.2015 दिनांकित द्वारा अनुरोध को खारिज कर दिया।इसके कारण रिट याचिका दायर की गई, जो कि आक्षेपित आदेश से खारिज हो गई।

3. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता सुश्री कामिनी जायसवाल और प्रत्यर्थी–निगम के विद्वत अधिवक्ता सुश्री प्रिया पुरी को सुना।

4. अपीलार्थी के विद्वत अधिवक्ता हमें लीज डीड 08.11.2011 दिनांकित के माध्यम से ले जाएंगे, जो उसी दिन पंजीकृत किया गया था और बताता है कि लीज डीड के तहत अपीलकर्ता को दिनांक 08.11.2011 को ही पट्टेदार द्वारा कब्जा सौंप दिया गया था।इस संबंध में, उसने उक्त लीज डीड के खंड 7 से समर्थन मांगा, जो इस प्रकार है:–

> 7. "यह कि, यदि पेट्रोल पंप को मंजूरी नहीं दी जाती है, तो दूसरे पक्ष को पहले पक्षकार को किराए पर हस्तांतरित भूमि को सौंपना होगा।"

इसलिए, वह संकेत करेगी कि लीज डीड दिनांक 08.11.2011 को लागू हुई थी। खण्ड 1 इस प्रकार है:–

> "1. यह कि, इस लीज–डीड की अवधि 30 वर्ष होगी, जो पेट्रोल पंप के अनुमोदन तारीख को ध्यान में रखेगा।"

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

5. उसने बताया कि यह दिनांक 08.11.2011 को कानून में आने वाले पट्टे से अलग नहीं हो सकता है। दिनांक 08.11.2011 से लीज की अवधि इस तथ्य के अनुरूप और समर्थित है कि अपीलकर्ता ने उक्त लीज डीड के तहत उक्त तिथि पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। इस संबंध में, उन्होंने भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 47 पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो इस प्रकार है:–

> "47. वह समय जिससे पंजीकृत दस्तावेज संचालित होता है।– रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उस समय से प्रवर्तित होगी जिससे किउसका कोई रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित न होता या किया गया न होता तो उसका प्रर्वतन प्रारंभ हुआ होता न कि उसके रजिस्ट्रीकरण के समय से।"

6. वह आगे यह भी बताएगी कि अपीलकर्ता को उसके द्वारा अर्जित प्रथम स्थान से हटाने की कार्रवाई एक कथित शिकायत पर आधारित थी। उसने पृष्ठ 117 ए पर प्रति शपथ पत्र के साथ निर्मित दस्तावेज़ के संदर्भ में बताया कि यह एक स्पष्ट मामला है जहां शिकायत को उछाला गया है जो वास्तविक नहीं है जिसे इस तथ्य से देखा जा सकता है कि क्रमांक 333 के बाद क्रमांक 334 के स्थान पर क्रमांक 335 लिखा हुआ है।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी–निगम के विद्वत अधिवक्ता सुश्री प्रिया पुरी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।वह यह बताएंगी कि आशय पत्र पहले ही उस निर्णय के संदर्भ में जारी किया जा चुका है जिसे उच्च न्यायालय ने दूसरे पक्ष के पक्ष में बरकरार रखा है।हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति के आदेश के आधार पर, निर्णय पर प्रभाव नहीं दिया जा सकता है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

8. अपीलकर्ता ने निस्संदेह 85.93 अंक हासिल किए।85.93 अंकों का एक हिस्सा 35 अंकों के कारण है, जो उसने दिनांक 08.11.2011 के लीज डीड के तहत एक पट्टेदार होने के आधार पर प्राप्त किया था, जिसे हमने सन्दर्भित किया है। प्रासंगिक प्रावधान जिसके तहत इस संबंध में अंक प्रदान किए गए थे, वह इस प्रकार है:–

पैरामीटर	उप–प्रमुख	वर्णन
भूमि और अवसंरचना /सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता (व्यक्तिगत और गैर–व्यक्तिगत पर लागू अधिकतम 35 अंक)	रिटेल आउटलेट के लिए उपयुक्त भूमि	"... ... .." 'बी' साइट के अनुसार आवेदन की तारीख के अनुसार 19 वर्ष 11 माह की न्यूनतम अवधि के लिए "स्वयं की भूमि" / पंजीकृत बिक्री विलेख / लंबे पट्टे पर भूमि (पंजीकृत) होने के लिए स्पष्ट शीर्षक है।
	'....' प्रयोजन/दीर्घकालिक पट्टे के लिए 'ख' 'साइट जिसका' 'फर्म ऑफर' 'है	25

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता बताते हैं कि वास्तव में लीज डीड 30 वर्ष की अवधि के लिए थी और इसलिए, लीज डीड आवश्यकता के साथ पूरी तरह से अनुपालन में थी।वास्तव में, यह बहुत अधिक था क्योंकि आवश्यक अवधि 19 वर्ष और 11 महीने थी जबकि उसके पक्ष में पट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिए था।

10. हालांकि, यह जांच का अंत नहीं है। इस खंड के तहत आवश्यकता यह है कि अन्य बातों के साथ–साथ 35 अंक अर्जित करने के लिए आवेदक के पास एक लंबे समय का पट्टा (आवेदन की तारीख के अनुसार न्यूनतम 19 वर्ष 11 महीने के लिए पंजीकृत) होना चाहिए।अपीलकर्ता को प्रथम पद से हटाने का निर्णय लेने में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

निगम के साथ जो बात प्रभावित हुई वह यह है कि पट्टा दिनांक 08.11.2011 को पेट्रोल पंप की स्वीकृति की तिथि से ही संचालित होना था। दूसरे शब्दों में , आवेदन की तारीख जो कि 11.11.2011 है, के अनुसार कोई लीज डीड प्रभावी नहीं थी।

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 5 इस प्रकार है:–

> "5. आगामी धाराओं में, "संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को अथवा स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में सम्पत्ति हस्तान्तरित करता है और "संपत्ति का अंतरण करना" ऐसा कार्य करना है।"

11. यह प्रावधान इस न्यायालय द्वारा चर्चा का विषय रहा है और हमें केवल *जुगलकिशोर सराफ बनाम मेसर्स रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड, एआईआर 1955 एससी 376* का संदर्भ लेने की आवश्यकता है। इसमें न्यायमूर्ति भगवती ने अपने विचार को इस प्रकार अवधारित किया:

> "वर्तमान में या भविष्य में" शब्द को "अंतरण" के योग्य बनाता है न कि धारा में "संपत्ति" शब्द के, यह अवधारित किया गया है कि संपत्ति का अंतरण जो अस्तित्व में नहीं है, भविष्य में किए जाने वाले अनुबंध के रूप में संचालित होता है जिसे विशेष रूप से संपत्ति के अस्तित्व में आते ही लागू किया जा सकता है।
>
> जैसा कि प्रिवी काउंसिल द्वारा 12 मू इंड एप 275 (पीसी) (ई) में अवधारित किया गया था:

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"लेकिन कोई हस्तांतरण, वास्तविक या रचनात्मक, एक अनुबंध पर कैसे हो सकता है जिसके तहत विक्रेता वह बेचता है जिसका उसके पास अधिकार नहीं है, और जिसका वह कभी भी हकदार नहीं हो सकता है? ऐसे मामले में बिक्री का बिल केवल 'भविष्य में' किए जाने वाले अनुबंध का प्रमाण हो सकता है, और किसी आकस्मिक घटना के होने पर, जिसके क्रेता विशिष्ट प्रदर्शन का दावा कर सकता है, यदि वह न्यायालय में आकर यह कहे कि जो कुछ करने को वह बाध्य था, वह सब उस ने आप ही किया है।"

यह केवल न्यायसंगत सिद्धांत के संचालन से ही होता है कि जैसे ही संपत्ति अस्तित्व में आती है और पहचानने में सक्षम होती है, इक्विटी लेने के रूप में जो किया जाना चाहिए वह संपत्ति पर तेजी से बढ़ता है और इस प्रकार असाइन करने का अनुबंध एक पूर्ण न्यायसंगत असाइनमेंट बन जाता है। भविष्य में पारित होने वाली डिक्री के मामले में, डिक्री का कोई असाइनमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि डिक्री पारित नहीं हो जाती और डिक्री पर नियत करने का समझौता नहीं हो जाता और इस प्रकार यह एक पूर्ण न्यायसंगत कार्य बनता है।स्थानांतरण की तिथि पर डिक्री अस्तित्व में नहीं होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि असाइनमेंट द्वारा लिखित रूप में स्थानांतरित किया गया है और मामला केवल भविष्य में किए जाने वाले अनुबंध में निहित है जिसे डिक्री पारित होते ही विशेष रूप से लागू किया जा सकता है, पारित होने पर डिक्री के "अंतरिती" के पक्ष में स्वचालित रूप से कोई हस्तांतरण नहीं होगा।

अंतरण को पूरी तरह से प्रभावित करने के लिए "अंतरणकर्ता" की ओर से एक और कार्रवाई की आवश्यकता होगी और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो "अंतरिती" का एकमात्र उपाय अंतरण के अनुबंध के विशिष्ट व्यवहार के लिए मुकदमा करना होगा।"

12. धारा 105 विशेष रूप से अचल संपत्ति के पट्टे से संबंधित है, और यह इस प्रकार है:–

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"105. स्थावर सम्पत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अन्तरण है, जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए किसी कीमत के, जो दी गई हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो, अथवा धन, या फसलों के अंश या सेवा या किसी मूल्यवान वस्तु के, जो कालावधीय रूप से या विनिर्दिष्ट अवसरों पर अन्तरिती द्वारा, जो उस अन्तरण को ऐसे निबंधनों पर प्रतिगृहीत करता है, अन्तरक को की या दी जानी है, प्रतिफल के रूप में किया गया हो।"

13. अचल संपत्ति का पट्टा अचल संपत्ति का अंतरण है। अंतरण में अचल संपत्ति के अधिकार का अंतरण होता है। यह संपत्ति में रुचि पैदा करता है ।पट्टे के आवश्यक तत्वों में से एक समय की अवधि है जो जितने समय के लिए होता है। एक पट्टा निश्चित समय के लिए हो सकता है जो व्यक्त या निहित हो सकता है। यह निरन्तर भी हो सकती है। इसलिए, जब कोई अचल संपत्ति के पट्टे के बारे में सोचता है तो आवश्यक शर्तों में से एक वह अवधि होगी जिसके लिए पट्टा संचालित होता है।इस मामले में, पट्टे या पट्टे की अवधि 30 वर्ष है।यह प्रश्न तुरंत उठेगा कि पट्टे की अवधि कितनी होगी। 'निश्चित समय' पद का निर्धारण उस समय की शुरुआत और समय के संदर्भ में पुनः समाप्त होने के कारण किया गया है। दूसरे शब्दों में 'निश्चित समय' समय की अवधि होगी।इसका उत्तर पट्टे द्वारा ही दिया जाता है, अर्थात् यह अवधि पेट्रोल पंप की मंजूरी की तारीख से प्रभावी होती है। दूसरे शब्दों में, यहां एक पट्टा विलेख है जिसने भविष्य में एक समय में शुरू होने वाले पट्टे की अवधि पर विचार किया।इससे अधिक क्या होगा यह केवल पेट्रोल पंप की मंजूरी की तारीख से प्रभावी होगा। वास्तव में पक्षकारों ने खंड 7 में विचार किया कि यदि पेट्रोल पंप को मंजूरी नहीं दी गई थी, तो दूसरा पक्षकार (अपीलकर्ता) को पहले पक्ष के बदले में अंतरित भूमि को सौंपना चाहिए।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

14. जो भी संदेह हो सकता है वह खंड 5 द्वारा दूर किया जाता है जो इस प्रकार है:–

> "5. यह कि पट्टे अवधि के पूरा होने अर्थात 30 वर्ष की समाप्ति के बाद, दोनों पक्षों के पास आपसी सहमति के आधार पर किराए पर अंतरित भूमि के संबंध में पट्टा विलेख द्वारा विकल्प नवीनीकरण अवधि होगी।

खंड 5 के अवलोकन से पता चलता है कि पट्टे की अवधि को '30 वर्ष की समाप्ति' के बाद समझाया गया है और यह पट्टे की अवधि के नवीनीकरण के बारे में कहा जाता है।पट्टे की अवधि जो 30 साल की समाप्ति के बाद फिर से होगा, का पूरा होना केवल पेट्रोल पंप की मंजूरी की तारीख से प्रभावी होगा।इसलिए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने पट्टे की अवधि को पट्टे की तारीख पर नहीं बल्कि भविष्य में एक अवधि पर शुरू होने पर विचार करके जो लीज स्टोर की थी। वास्तव में, वह समय या घटना जिस पर पट्टे की अवधि अपने आप से शुरू होनी अनिश्चित थी।शायद यह सच है कि यह इस सिद्धांत पर बनने वाली भविष्य की घटनाओं पर प्रभाव डाल सकता है कि पट्टे के विषय से संबंधित भविष्य की घटना पर इक्विटी में, पट्टे को भविष्य में संपत्ति को प्रभावित कर सकते थे।लेकिन हमें उन लाइनों पर मामले का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट है कि पट्टे की तारीख दिनांक 8.11.2011 को प्रभावी नहीं हुई थी।यदि ऐसा है तो आवेदन की तारीख के अनुसार दिनांक 11.11.2011 को कोई पट्टा नहीं था।

15. अपीलकर्ता ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 47 से आधार प्राप्त करने का प्रयास किया।पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 47 का उद्देश्य केवल पट्टा विलेख को प्रभावी करना है जो बाद के समय में पंजीकृत है जब इसे निष्पादित किया जाता है।यह इस बात से अभिप्रेत है कि जो दस्तावेज पंजीकृत

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

है, उसके पास उस अवधि से अपनी शर्तों पर प्रभावकारिता होगी जब यह दस्तावेज़ के तहत प्रभावी होना था।दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि यह बाद में पंजीकृत है, जब यह शुरू होता, तो संचालित करने के लिए शुरू होने वाले दस्तावेज़ से अलग नहीं हो सकता था, लेकिन इसके लिए पंजीकृत नहीं किया गया था।वास्तव में, यदि कोई पंजीकरण अधिनियम की धारा 47 को लागू करता है, तो इस मामले के तथ्यों पर यह पट्टे के निष्पादन की तारीख से शुरू होने के रूप में पट्टे की अवधि को पूर्व निर्धारित करने का प्रभाव नहीं होगा।पट्टा अपनी शर्तों पर लागू होगा और पट्टे की अवधि पंजीकृत होने के बावजूद मंजूरी दिए जाने पर ही शुरू होगी।

16. इस चर्चा का परिणाम यह है कि अपीलकर्ता संभवतः 35 अंकों के लाभ का हकदार नहीं हो सकता है, जो केवल उन आवेदकों के लिए है, जिनके पास आवेदन की तारीख के अनुसार अन्य बातों के साथ–साथ दीर्घकालिक पट्टा था।

17. एक और पहलू है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए।हम एक ऐसे मामले पर विचार कर रहे हैं जहां नैतिक दायित्व देने की न्यायिक समीक्षा की मांग की गई है। किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को ऐसे बन्धों में काफी स्वच्छन्दता तब दी जाती है जब उन शर्तों को समझने की बात आती है जिसके तहत ऐसा प्रस्ताव दिया गया है। हम इस पहलू से भी अनजान नहीं हो सकते। तथ्य यह है कि संशोधन विलेख में भी जो विज्ञापन की तिथि के काफी बाद में निष्पादित किया गया था और आवेदन मूल पट्टा विलेख को सही करने का प्रयास किया जाता है और यह बताने का प्रयास किया गया है कि यह एक त्रुटि के परिणामस्वरूप था कि खंड 1

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जिसका हमने उल्लेख किया है, सम्मिलित किया जाना भी हमारे तर्क को मजबूत करेगा जिसे हमने यह निष्कर्ष निकालने के लिए नियोजित किया है कि अपीलकर्ता 35 अंकों का हकदार नहीं है।

18. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।अपील खारिज की जाती है।

लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाता है।

... ...

[न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ]

... ...

[न्यायमूर्ति पामिदिघनटम श्री नरसिम्हा]

नई दिल्ली

30 सितम्बर, 2021

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"